CNR No– UPLK010231452024

<u>न्यायालय Additional District and Sessions Judge Court No 3 Lucknow</u>
पीठासीन अधिकारी- (Umakant Jindal), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06234
<u>Session Trial /2976/2024</u>
<u>पुराना सत्रवाद सं०–392/2010</u>

Decided on : 31.07.2026

उत्तर प्रदेश राज्य .... अभियोजन।

बनाम

नईम, पुत्र स्व० मोहम्मद उल्लाह, निवासी– इस्माईलपुर,वार्ड सं०–67, गीता प्रेस, गोरखपुर, उ०प्र०।
..............अभियुक्त।

सत्र परीक्षण सं०–2976/2024
मु०अ०सं०–52/1993
धारा–295A, 124A, 153B भा०दं०सं०
थाना–कोतवाली, जिला– गोरखपुर

....

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत **सत्र परीक्षण संख्या –2976/2024, सरकार बनाम नईम** से संबंधित अपराध में पुलिस थाना –**कोतवाली, जिला– गोरखपुर** द्वारा **अभियुक्तगण नईम एवं अताउल्ला** के विरूद्ध **मु०अ०स०–52/1993, धारा– 295A, 124A, 153B भा०दं०सं०, थाना–कोतवाली, जिला– गोरखपुर** के अंतर्गत **आरोप पत्र सं०–57/2005, दिनांकित** 12.08.2005 प्रेषित किया गया। उक्त आरोप–पत्र पर तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा अपराध का **प्रसंज्ञान दिनांक** 27.08.2005 को लिया गया तथा मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण राज्य बनाम नईम की पत्रावली सत्र न्यायालय में सुपुर्द किया गया। जहाँ से अंतरित होकर पत्रावली विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. प्रस्तुत प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 26.01.1993 को **वादी मुकदमा पवन कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना– कोतवाली** के द्वारा, थाना– कोतवाली जिला– गोरखपुर में एक सूचना/तहरीर इस आशय की दी गयी कि–

" आज दिनांक 26.01.1993 को शांति व्यवस्था ड्यूटी में मै प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह, मय हमराहीयान कां० 1331 दुर्विजय सिंह, व कां० ओम प्रकाश सिंह के साथ सरकारी जीप सं०–4.M.B. 4505 से क्षेत्र में नखास चौराहे से खूनीपुर की ओर जा रहा था कि देखा गया कि सड़क के दाहिनी ओर मकान पर मुहल्ला इस्माइलपुर में नईम पुत्र मोहम्मद उल्ला व अताउल्ला पुत्र हमीद उल्ला तथा युसुफ पुत्र शेख, मु० खुनीपुर थाना कोतवाली जिला गोरखपुर समय करीब 10:30AM काला झंडा लगाकर पाकिस्तान जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस मुर्दाबाद, की आवाज बुलंद कर रहे थे, कि अब हम लोगों के लिए हिन्दुस्तान में एक पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि बगैर पाकिस्तान के मुस्लिम संप्रदाय का अस्तित्व नहीं बन पायेगा। क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गयी है। उसको कार सेवकों द्वारा गिराया गया है। तिरंगा झंडा से अब नफरत हो गयी है। इस प्रकार के जोशीले भाषण से हिंदू धर्म के लोगों में नफरत व घृणा पैदा कर रहे थे। जिससे शांति भंग होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया। उनको पकड़ने की कोशिश की गयी, मगर भाग गये। इनके साथ तीन– चार व्यक्ति और जो काला झंडा हाथ में लिए लहरा रहे थे, वे भी भाग गये कि घटनास्थल कुंए के पास वाले मकान से दो काला झंडा तथा सड़क के बतासे पटरी वाले मकानों से अलग –अलग दो काले झंडे बरामद कर कब्जा पुलिस में लिया गया। उपरोक्त व्यक्तियों का यह कार्य राष्ट्रविरोधी एवं देश की अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला है। अतः मुकदमा तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया जाए। "

3. उक्त सूचना/तहरीर के आधार पर थाना– कोतवाली, जिला– गोरखपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० –52/1993, **अंतर्गत धारा– 295A, 124A, 153B, भा०दं०सं०, थाना–कोतवाली, जिला– गोरखपुर** विरुद्ध **अभियुक्तगण नईम, असमत अली, मोहम्मद युसुफ एवं अताउल्ला**, दिनांक 26.01.1993 को समय 15:20 पर दर्ज की गयी, जिसकी प्रविष्टि दिनांक 26.01.1993 समय 15:20 बजे, थाना – कोतवाली, जिला– गोरखपुर में की गयी।

4. उक्त के आधार पर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा संबंधित साक्षियों के बयानात अंकित किये गये तथा घटनास्थल का नक्शा नजरी, आदि प्रपत्र तैयार किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण **नईम एवं अताउल्ला** के विरूद्ध अंतर्गत धारा– **295A, 124A, 153B भा०दं०सं०** के अंतर्गत आरोप–पत्र **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर** के न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में प्रेषित आरोप पत्र पर तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा अपराध का **प्रसंज्ञान दिनांक 27.08.2005** को लिया गया।

5. प्रकरण में अभियुक्तगण को आहूत किया गया, वे उपस्थित अदालत आये। तत्कालीन न्यायालय एकादश अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर ने अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के बिन्दु पर सुनकर दिनांक– 19.02.2011 को अभियुक्तगण **नईम एवं अताउल्ला** के विरूद्ध अंतर्गत धारा– **295A, 124A, 153B भा०दं०सं०** का अपराध पाते हुये उक्त धारा में आरोप विरचित किया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

6. दौरान वाद विचारण अभियुक्त अताउल्ला की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित कर दी गयी व पत्रावली की कार्यवाही शेष जीवित बचे अभियुक्त नईम के विरूद्ध अग्रसारित रही।

7. तत्पश्चात् प्रकरण में मूल पत्रावली वाद सं० –392/2010, मु०अ०सं०- 52/1993, राज्य बनाम नईम, अन्तर्गत धारा 295ए, 124ए, 153बी० भा०दं०सं०, थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर मे अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-4, गोरखुपर के न्यायालय में लम्बित थी, जहां से पत्रावली को सक्षम क्षेत्राधिकारिता के अभिहित होने पर उक्त सत्र परीक्षण संख्या-392/2010, राज्य बनाम नईम, थाना कोतवाली, गोरखपुर में अभियुक्त पर आक्षेपित अपराध अन्तर्गत धारा 295ए, 124ए, 153बी० भा०दं०सं०, के **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 (यथासंशोधित) की अनुसूची के बिन्दु 8 (क)** में वर्णित अपराधों से संबंधित होने के कारण इसका विचारण **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की धारा 22(1) अनुक्रम** में पारित **शासन नोटिफिकेशन सं०-1002/VI-P-9-21-31 (75)/2017 दिनांकित 20-04-2021** द्वारा अधिसूचित संपूर्ण उ०प्र० राज्य की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले जनपद लखनऊ स्थित अभिहित इस न्यायालय, न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन०आई०ए० एक्ट, लखनऊ के क्षेत्राधिकार में आने के कारण पत्रावली के विधि अनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रेषित की गयी। जिसके पश्चात उक्त सत्र परीक्षण सं० -392/2010 की पत्रावली इस न्यायालय में स्थानांतरण होकर प्राप्त होने पर पत्रावली नये वाद **सत्र परीक्षण सं०-2976/2024, राज्य बनाम नईम** के रूप में दर्ज कर इस पत्रावली की कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

8. **<u>अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य</u>**

क्र०स०	साक्षीगण का नाम	सा०संख्या	कथन दिनांक	अंकित प्रदर्श
1.	दुर्विजय सिंह	पी०डब्लू–1	22.07.2011 (मुख्यपरीक्षण) 21.09.2011 (प्रतिपरीक्षा)	
2.	पवन कुमार सिंह	पी०डब्लू–2	20.08.2019 (मुख्यपरीक्षण)	प्रदर्श क–1
3.	राम अधार चौधरी	पी०डब्लू–3	15.02.2021/ 23.07.2024 (मुख्यपरीक्षण) 15.02.2021 (प्रतिपरीक्षण)	प्रदर्श क–2 प्रदर्श क–5
4.	राम नगीना राय	पी०डब्लू–4	16.11.2023 (मुख्यपरीक्षण) 16.11.2023 (प्रतिपरीक्षण)	प्रदर्श क–3 प्रदर्श –4

9. **<u>अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य</u>**

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए है–

क्र०सं०	**दस्तावेज**	**अंकित प्रदर्श**
1.	तहरीर	प्रदर्श क–1
2.	प्र०सू०रि०	प्रदर्श क–2
3.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–3
4.	अभियोजन स्वीकृति	प्रदर्श क–4
5.	नक्शानजरी	प्रदर्श क–5

10. अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त के बयानात अन्तर्गत धारा– 313 द०प्र०स० अंकित किये गये। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया, *" अभियोजन द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है उस बाबत अभि० सुबह 08:30 बजे अपने घर से फेरी के व्यापार के लिए निकल जाता था और रात करीब 10:00 बजे वापस आता था। अभियोजक का आरोप निराधार व झूठा है। अभियुक्त जब सुबह फेरी पर जा रहा था तभी मोहल्ले के रास्ते में गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी से साइकिल टकरा गई, जिसमें पुलिस द्वारा अभियुक्त से पूछताछ कर अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर भगा दिया गया तथा अभियुक्त पुनः जब वापस घर आता है तो पता चलता है कि मेरे ऊपर देश–विरोध नारे के एफ०आई०आर० दर्ज कर दिये गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायप्रिय व शान्तिप्रिय तथा राष्ट्र का जिम्मेदार व्यक्ति है। पूर्व में प्रार्थी के ऊपर इस वाद के अतिरिक्त कोई अन्य आपराधिक मामले न तो दर्ज हैं और न ही किसी मामले में सजायाफ्ता है। "*

11. मेरे द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को धैर्यपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

12. न्यायालय सम्पूर्ण साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण करेगा कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप, अभियोजन पक्ष द्वारा युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित किये गये है या नहीं।

निष्कर्ष

13. यहां इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त को दोषसिद्ध कराये जाने के लिए संदेह से परे यह साबित करना है कि, **अभियुक्त द्वारा दिनांक–26.01.1993 को लगभग 10:30 बजे दिन में, मुहल्ला– इस्माइलपुर बहद थाना कोतवाली, स्थित अपने मकान पर काला झण्डा लगाकर पाकिस्तान जिन्दाबाद, गणतन्त्र दिवस मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए तेज–तेज आवाज में चिल्ला रहे थे कि, *अब हम लोगों को हिन्दुस्तान में एक और पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि बगैर पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय का अस्तित्व नहीं रह पायेगा।* घटनास्थल कुआ के पास वाले मकान से दो काला झण्डा तथा सड़क के दक्षिणी पटरी वाले मकानों से भी**

अलग–अलग दो काले झंडे बरामद किये गये एवं क्या अभियुक्त का उपरोक्त कार्य राष्ट्रविरोधी व भारत की अखण्डता को खतरा पहुंचाने वाला है।

14. **अभियोजन पक्ष का तर्क–**

अभियोजन कथानक के समर्थन में विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, प्रकरण में अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए कुल 4 गवाह प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त समस्त गवाहों ने अपने सशपथ बयानों में अभियोजन कथानक का संदेह से परे समर्थन किया है। विवेचक द्वारा भी अपनी विवेचना की कार्यवाही को समस्त सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अपने सशपथ बयानों में सम्यक् रूप से साबित किया गया है। अभियोजन साक्षियों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न नहीं हुआ है। अभियुक्त द्वारा कारित किये गये अपराध को अभियोजन पक्ष की तरफ से सम्यक् रूप से साबित किया गया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किये गये गवाहों से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता प्रतिपरीक्षा में कोई गंभीर विरोधाभासी बात नहीं निकलवा पाए हैं। अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दंडित किया जाए।

15. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत **प्रथम गवाह पी०डब्लू–1 दुर्विजय सिंह** ने अपने सशपथ बयानों की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, " *दिनांक 26.01.1993 को मैं बहैसियत आरक्षी थाना–कोतवाली जिला गोरखपुर में कार्यरत था। उस तारीख को मैं तथा आरक्षी ओमप्रकाश सिंह, जीप सरकारी UMB–4505 पर तत्कालीन कोतवाल पवन कुमार सिंह के साथ देखभाल कोतवाली क्षेत्र में था क्योंकि 26 जनवरी 1993 के बारे में सूचनाएं मिली थी कुछ मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग राष्ट्रीय पर्व न मनाकर गड़बड़ी पैदा करेंगे, जब हम लोग क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए 10:30 बजे दिन में नखास चौराहा से रानीपुर की ओर जा रहे थे तो देखे कि सड़क के दाहिनी तरफ मकानों पर मुहल्ला–इस्माईलपुर में नईम पुत्र मोहम्मद उल्लाह व अताउल्लाह पुत्र हमीदुल्लाह तथा हाफिज बरफ के मकान के सटे रोड से मु० युसुफ पुत्र शेख छेदी व असगर अली पुत्र अहमद अली अपने–अपने घरों पर काला झण्डा लगाकर करीब 10.30 बजे दिन में पाकिस्तान जिन्दाबाद, गणतन्त्र दिवस मुर्दाबाद आदि देशद्रोही युक्त नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि हम मुसलमान भाईयों के लिए हिन्दुस्तान में एक और पाकिस्तान की जरूरत है। बगैर पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय का अस्तित्व नहीं बच पायेगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गयी है, मुस्लिम भाईयों घरों से निकलकर बाहर आओ, हिन्दुओं को मिटाकर हिन्दुस्तान को दूसरे पाकिस्तान के रूप में बदल दो। इतने जोशिले व उन्माद वाले भाषण देकर हिन्दू धर्म के लोगों में नफरत व घृणा पैदा कर रहे थे। ऐसे हालात में उनके जोशिले भाषणों को सुनकर मुस्लिम समुदाय में तनाव पैदा हो गया और शान्ति भंग का अंदेशा पैदा हो गया। हम लोगों ने गिरफ्तारी करने का प्रयास किया, परन्तु उपरोक्त चारों अभियुक्तगण नईम, अताउल्लाह, मो० युसुफ व असगर अली मौके से भाग गये। इन लोगों के साथ कुछ और लोग काला झण्डा लिए थे, वह भी भाग गए। उपरोक्त चारो अभियुक्तगणों के घरों से एक–एक काला झण्डा, कुल–4 झण्डा बरामद कर कब्जा पुलिस में लिया गया। दूसरे अन्य हिस्सों में गश्त करते हुए लगभग साढ़े तीन बजे कोतवाली पहुंचकर,*

कोतवाल साहब ने उपरोक्त चारों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया। मुल्जिम नईम न्यायालय में हाजिर है, अन्य नहीं है। मुल्जिमानों को मैं पहले से जानता–पहचानता था।"

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस गवाह द्वारा कथन किया गया है कि, " *मुल्जिम नईम कितने भाई बहन हैं, मैं नही बता सकता। मुल्जिम नईम मेरे गांव के भी नहीं है। मुल्जिम नईम कहां के निवासी हैं, मैं नहीं बता सकता। मैं मुल्जिम नईम व अताउल्ला का भी नाम नहीं जानता हूं। इस मुकदमे की रपट को इंसपेक्टर साहब ने दर्ज करया था। मैंने इस मुकदमे में कोई व्यक्तिगत कार्यवाही कभी नहीं किया। मुल्जिमान नईम व अताउल्लाह , मो० युसुफ और अस्मत अली को अभियुक्त बनाते हुए रपट इंसपेक्टर साहब न दर्ज करायी थी., इसलिए इंसपेक्टर साहब ही बता सकते हैं, कि वे कैने उन लोगों को पहचानते थे। इंसपेक्टर साहब ने अपनी पहचान या जानने के आधार पर या जिस आधार पर वे चाहे हों, उन्होंने रपट में चार लोगों का नाम लिखाया था। मेरी इस संबंध में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। व न ही व्यक्तिगत पहचान ही है। मैं इँस्पेक्टर साहब का केवल हमराही ही था। घटना वाले दिन मेरी थाने से कितनी बजे रवानगी हुई थी, और कितने बजे मेरी रवानगी जी०डी मे दर्ज है, मैं इस संबंध में कुछ नहीं बता सकता। दो मकान जो मुहल्ला इस्माइलपुर वाले और दो मकान मोहल्ला खूनीपुर वाले में काला झंडे लगे हुए थे, ये काले झंडे मकान के बाहरी हिस्से में सड़क की तरफ के भाग में लगे थे तथा सड़क से दिखलाई दे रहे थे। इन मकानों के वास्तविक स्वामियों के स्वामित्व का कोई कागज मैंने अपने आंखों से कभी नहीं देखा है। इन मकानों के वास्तविक स्वामी कौन हैं, मैं नहीं बता सकता। वहां जुटे लोगों ने बताया था कि, फलां मकान नईम का है, और फलां मकान अताउल्ला का है। उन लोगों के बताने पर ही पुलिस पार्टी यह जान पाई थी कि, ये मकान नईम व अताउल्ला के हैं। मैं आज उन लोगों का नाम नहीं बता सकता जिन्होंने पुलिस पार्टी को बताया था कि कौन सा मकान किसका है। जब पुलिस पार्टी घटनास्थल पर पहुंची तो सभी लोग भाग चुके थे, कोई पकड़ा नहीं गया था। चूंकि पुलिस पार्टी के पहुचने से पहले नारा लगाने वाले भाग चुके थे, इसलिए मैं आज उनकी संख्या नहीं बता सकता। मेरी मुख्यपरीक्षा के समय और आज भी बरामदशुदा काला झंडा अदालत में पेश नहीं हुआ है। कहां हैं मै नहीं बता सकता। झंडा मौके पर कपड़े में सील मोहर किया गया था। व सील मोहर भी आज मेरे सामने नहीं है। मैंने नारा लगाने वालों को स्वयं नहीं पकड़ा था। क्योंकि वे भाग चुके थे। जब हम लोग घटनास्थल पर पहुचे तो वहां कोई भीड़ नहीं थी। सब लोग भाग चुके थे। इसलिए किसी ने भी हम लोगों को न तो मारा पीटा और न ही हम लोग का विरोध किया। क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। विवेचक को कभी मैं घटनास्थल पर नहीं ले गया। इस मुकदमे की रपट में मुल्जिमानों की नामजदगी और तफ्तीश के उपरान्त आरोप पत्र क्यों और कैसे लग गया, मैं नहीं बता सकता।* "

16. **अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किये गये दूसरे साक्षी पी०डब्लू० 2 पवन कुमार सिंह** ने अपने सशपथ बयानों की मुख्य परीक्षा में कथन किया कि, " *दिनांक 26.01.1993 को मैं थाना कोतवाली मोरखा निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन शान्ति व्यवस्था डयूटी में मय सरकारी जीप UMB 4505 हमराही कां० ओमप्रकाश व दुर्गविजय के साथ क्षेत्र भ्रमण पर था। देखा कि सड़क के दाहिने ओर मकान पर मो० इस्माइलपुर में नईम पुत्र मोहम्मद उल्लाह व अताउल्लाह पुत्र हमीदुल्लाह तथा उसी के दक्षिण की तरफ के मकान के बगल सड़क पर लगे रोड पर मोहम्मद युसूफ पुत्र छेदी काला झण्डा लगाकर पाकिस्तान जिन्दाबाद गणतंत्र दिवस*

मुर्दाबाद आवाज बुलंद कर रहे थे और कह रहे थे कि अब हम लोगों को हिन्दुस्तान में पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि बगैर पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय का अस्तित्व नहीं बच पायेगा क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरायी गई है, उसका पहले की तरह निर्माण करना है। तिरंगा झण्डा से अब नफरत हो गयी है। इस प्रकार के जोशीले भाषण से नफरत तथा हिन्दू धर्म के लोगों से घृणा व नफरत पैदा कर रहे हैं। जिससे शान्ति व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया था। इनको पकड़ने की कोशिश की गई मगर भाग गये। उनके साथ 03-04 व्यक्ति और भी काला झण्डा हाथ में लिये लहरा रहे थे, वे भी भाग गये। घटनास्थल कुएँ के ढ़ाल मकान से दो काला झण्डा तथा सड़क के दक्षिणी पटरी काला झण्डा बरामद कर कब्जा पुलिस में लिया गया। उपरोक्त व्यक्तियों का यह कार्य राष्ट्र विरोधी तथा भारत की अखण्डता को खतरा पहुंचाने वाला है। उपरोक्त की तहरीर मेरे द्वारा की गयी, जिसके आधार पर थाना कोतवाली के प्रभारी निरिक्षक मु०अ०सं० 52/93 धारा 295A, 124A, 153A, भा०दं०सं० पंजीकृत किया गया। जो शामिल पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया।"

बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी उक्त गवाह पी०डब्लू० 2 मुकदमा वादी जिरह हेतु पत्रावली पर हाजिर नहीं हो पाया। इस कारण से बचाव पक्ष को इस गवाह से जिरह का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया।

17. **अभियोजन पत्र की तरफ से प्रस्तुत तीसरे अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 राम अधार चौधरी** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया कि, " *दिनांक 26.01.1993 को मैं थाना कोतवाली, जिला गोरखपुर में बतौर हे०का० मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन, दिन में लगभग ढ़ाई-तीन बजे के करीब मुझे तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली श्री पवन कुमार सिंह द्वारा एक तहरीर मुझको प्राप्त करायी गयी और यह निर्देशित किया गया कि इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दे। मैंने उनके निर्देश पर उस तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०-52/93, धारा-295A, 124A, 153B भा०दं०सं० में नईम पुत्र मोहम्मद उल्लाह व अताउल्लाह पुत्र हमीदुल्लाह के खिलाफ अपने हस्तलेख में अभियोग पंजीकृत किया। जो पत्रावली में कागज सं०-4 क है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिसपर* ***प्रदर्श क-2*** *डाला गया।* आगे इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि, *इस मुकदमे के चिक एफ०आई०आर मेरे द्वारा लिखा गया था। नाजिम खां मेरे साथ थाना कोतवाली में मौजूद थे। उनके कार्य सरकार के दौरान लिखते पढ़ते देखा है। मु०अं०सं 52/1993 की नक्शानजरी शामिल मिसिल कागज सं०-7 है, जो नाजिम खां द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है। हस्ताक्षर की जगह फटी है। उनके हस्ताक्षर को मैं पहचान सकता हूं। उनके लेख की मैं पुष्टि करता हूं। जिस पर* ***प्रदर्श क-5*** *डाला गया।"*

बचाव पक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि, " *यह मुकदमा भारसाधक अधिकारी के आदेश से ही दर्ज हुआ था। भारसाधक अधिकारी का जो आदेश व निर्देश था, उसी के अनुसार मैंने दर्ज किया। यह तहरीर थाने पर ही लिखी गयी थी। परंतु कहां लिखी गयी थी, मुझे नहीं मालूम है। मैं जितनी बात जानता हूं, भारसाधक अधिकारी के द्वारा जानता हूं। मैं स्वयं से इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता था। नाजिम खां द्वारा जो*

नक्शानजरी बनाया गया था, बनाते समय मैं मौजूद नहीं था। नाजिम खां ने इस मुकदमे की कार्यवाही कहां पर थी, मुझे नहीं पता। इस मुकदमे की अंतिम रिपोर्ट की मुझे जानकारी है। "

18. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 राम नगीना राय,** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया कि, *" मैं दिनांक 11.10.2020 को थाना प्रभारी के पद पर थाना कोतवाली जनपद–गोरखपुर में तैनात था। मु०अ०सं०–52/1993 अंतर्गत धारा–295A, 153B, 124A, भा०दं०सं० अभियुक्तगण नईम पुत्र मोहम्मद तुल्ला, अताहुल्लाह पुत्र हमीदुल्लाह, असगर अली पुत्र अहमद अली, मो० युसुफ पुत्र शेख छेदी के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गई। केस डायरी का पर्चा नं० 17 मेरे द्वारा दिनांक–11.10.2020 को किया गया। जिसमें मेरे द्वारा अग्रिम विवेचना एस०एस०आई० द्वारा किये जाने का आदेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। जिसमें आगे की विवेचना मेरे द्वारा की गई। इस मुकदमें से सम्बन्धित SCD के पर्चा नं०–1 मेरे द्वारा दिनांक 08.08.2005 को किता किया गया है। जिसमें मेरे द्वारा पूर्व किता किया गया पर्चों का अवलोकन किया गया एवं अभियुक्त नईम पुत्र मोहम्मद उल्ला, अताहुल्लाह पुत्र अमीदुल्लाह निवासीगण ईस्माइलपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के विरुद्ध अंतर्गत धारा 295A, 124A, 153B, भा०दं०सं० का अपराध का सबूत पाते हुए आरोपपत्र सं० 57/2005 दिनांक 12.08.2005 को मेरे द्वारा मा० न्यायालय में प्रेषित किया है। आरोप पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। आरोप पत्र शामिल मिसिल पत्रावली का०सं० –3 क है। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। SCD का पर्चा नं० 2 मेरे द्वारा दिनांक 12.08.2005 को किता किया गया है। जिसमें अंतिम रिपोर्ट सं० –40/2003 दिनांक 25.11.2003 को कैंसिल्ड किये जाने का उल्लेख केस डायरी में किया गया है। जिसमें अभियोजन स्वीकृत के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का उल्लेख केस डायरी में किया गया है। अभियोजन स्वीकृत शामिल मिसिल का० सं०–13 ख/12 है। छायाप्रति है। जो मुझे राज्यपाल की आज्ञा से शासनादेश के अनुक्रम में मिला था। जिसकी मूल 13 ख/9 लगायत 13 ख/10 है तथा वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक की पत्र है, जो शामिल पत्रावली है। जिसको मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श का–4** डाला गया। अभियोजन स्वीकृत मुझे अभियुक्त नईम पुत्र मोहम्मद उल्लाह, अताउल्लाह पुत्र हमीदउल्लाह थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के विरुद्ध मिला था "*

बचाव पक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि, *" मेरी विवेचना से पूर्व दूसरे विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना की गयी थी। मेरे द्वारा विवेचना में मुल्जिम नईम को शिनाख्त हेतु न्यायालय में तलब नहीं कराया था। जब मुझे इस मुकदमे की विवेचना मिली थी, तब मैंने घटनास्थल का मुआयना नहीं किया था, मैंने अपनी विवेचना के दौरान घटनास्थल पर जाकर किसी का बयान नहीं लिया। मैंने अपनी विवेचना के दौरान पूर्व विवेचक द्वारा एकत्रित किये गये साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। "*

अन्य कोई मौखिक व लिखित साक्ष्य अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19. **<u>बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के समर्थन में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य–</u>**

बचाव पक्ष की ओऱ से अभियुक्त के बचाव में किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

20. **बचाव पक्ष का तर्क–**

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के बचाव में तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि, प्रकरण को दर्ज कराने वाले स्वयं मुकदमा वादी द्वारा अपनी तहरीर के तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है व न ही वे स्वंय न्यायालय में अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु जिरह में उपस्थित आये हैं। प्रकरण के उक्त विवेचक के पश्चात् नए विवेचक जो कि प्रकरण में पी०डब्लू० 4 के रूप में परीक्षित कराया गया है, के द्वारा घटना के लगभग बारह वर्ष बाद बिना कोई अतिरिक्त साक्ष्य संकलित किये नए विवेचक द्वारा इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। उक्त विवेचक द्वारा मात्र अपने कर्तव्य की खानापूर्ति हेतु यह आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। उसके द्वारा कोई नई अतिरिक्त विवेचना नहीं की गयी व न ही वह कभी घटनास्थल पर ही गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किये गये गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त ने ऐसा कोई आचरण नहीं किया है, जो उसे अभियुक्त के रूप में इंगित करता हो। अभियुक्त के पास से न तो किसी घटना में प्रयुक्त किये जाने वाले वस्तु की बरामदगी हुयी है, और न ही उसके द्वारा उक्त घटना कारित किये जाने का कोई हेतुक बताया गया है। अभियोजन कथानक साबित नहीं है। प्रकरण में पुलिस द्वारा किये गये माल बरामदगी (प्रकरण में घटनास्थल से व अभियुक्तगण के पास से बरामद काला झंडे) की न तो शिनाख्त ही करायी गयी है, व न ही उसे न्यायालय के समक्ष साबित ही किया गया है, जो कि स्वयं अभियोजन कथानक को संदिग्ध कर देता है। अभियोजन कथानक मनगढ़त तथ्यों पर आधारित है। निर्विवाद रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों में आपसी गंभीर विरोधाभास है। अपने पूरे बयान में कथानक के साक्षियों द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने आरोपी/अभियुक्त के पक्ष में दोषमुक्त करने वाले साक्ष्य दिए। अभियोजन कथानक साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। इसी क्रम में बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विधि व्यवास्थाएं दाखिल की गयी हैं, जिनका विवरण निम्न हैं–

1. Neck Mohammad @ Raj Mohammad @ Nek.... vs The State of Bihar, decided on 19 Dec, 2017
2. Vijayee Singh and Ors. Vs State of U.P. decided on 20 April, 1990
3. State of Rajasthaan Vs Kashi Ram, decided on 7 Nov, 2006
4. Kali Ram Vs State of Himachal Pradesh, decided on 24 Sep 1973,
5. Poornamal Vs State of Rajasthan, decided on 10 March 2026,
6. Balwant Singh and anr Vs State of Punjab, decided on 01 March, 1995

21. अन्य कोई मौखिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

22. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि, इस प्रकरण की घटना दिनांक 26.01.1993 की बतायी गयी है और उसके संबंध में न्यायालय में आरोप पत्र घटना के लगभग 12 वर्ष के पश्चात् सन् 2005 में प्रस्तुत किया गया है और महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि, 12 वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आरोप पत्र के प्रस्तुत किये जाने से पूर्व घटना के लगभग दस वर्ष

पश्चात् सन् 2003 में इस प्रकरण के विवेचक द्वारा इस मामले में अंतिम आख्या प्रेषित कर दी गयी थी। उक्त अंतिम आख्या प्रेषित किये जाने का विवेचक द्वारा यह आधार वर्णित किया गया कि, *" दौरान विवेचना नामित अभियुक्त युसुफ की मृत्यु हो चुकी है। असमत अली की नामजदगी गलत पायी गयी है। संपूर्ण विवेचना के मध्य उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य के विश्लेषण से अभियोग के कालातीत हो जाने के कारण साक्ष्य के अभाव में न्यायालय में भेजे जाने योग्य नहीं पाया जा रहा है, अतः विवेचना द्वारा एफ०आऱ० समाप्त की जाती है। "* अर्थात् इस प्रकरण के विवेचक द्वारा घटना के लगभग दस वर्ष पश्चात् प्रकरण के कालातीत हो जाने के कारण उसमें कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होने के आधार पर अंतिम आख्या प्रेषित कर दी गयी। लेकिन उक्त अंतिम आख्या से संबंधित एस०पी० सिटी संतुष्ट नहीं हुए और उनके द्वारा उस एफ०आर० को निरस्त करने की संस्तुति की गयी। एफ०आर० के उक्त निरस्तीकरण की संस्तुति के बाद घटना के लगभग बारह वर्ष बाद बिना कोई अतिरिक्त साक्ष्य संकलित किये नए विवेचक द्वारा इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस संबंध में उक्त नये विवेचक पी०डब्लू०–4 रामनगीना राय द्वारा अपने सशपथ बयानों की प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट तौर पर यह कथऩ किया है कि," *मैं इस विवेचना में कभी भी घटनास्थल पर नहीं गया, न ही मैंने विवेचना के दौरान घटनास्थल पर जाकर किसी का बयान लिया। मैंने अपनी विवेचना के दौरान पूर्व विवेचक द्वारा एकत्रित किये गये साक्ष्य के आधार पर ही आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। "* अर्थात् इससे यह स्पष्ट होता है कि, पूर्व विवेचक द्वारा अपनी विवेचना के दौरान जो साक्ष्य संकलित किया गया था, उसके आधार पर उसको इस मामले में आरोप पत्र प्रेषित करने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला और उसने इस मामले में अंतिम आख्या प्रेषित कर दी। लेकिन इस नए विवेचक पी०डब्लू०–4 रामनगीना राय द्वारा उसी पूर्व विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर बिना पर्याप्त साक्ष्य पाये हुये, इस मामले में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। अर्थात् इससे यह भी प्रकट होता है कि इस प्रकरण में विवेचक के पास अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। उपरोक्त स्थिति अभियोजन कथानक को स्वतः ही संदिग्ध कर देती है।

23. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि, इस प्रकरण में अभियोजन कथानक का प्रमुख आधार अभिुक्तगण द्वारा मौके पर काला झंडा लहराकर देश विरोधी नारा लगाया जाना बताया गया है, लेकिन ऐसा कोई भी काला झंडा जो अभियुक्तगण से बरामद किया जाना बताया हो, दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण बात यहां यह भी है कि, ऐसे किन्हीं भी काले झंडों की फर्द बरामदगी पत्रावली पर मौजूद नहीं है , जिससे यह साबित हो पाता कि, अभियुक्तगण घटनास्थल पर काले झंडे लहराकर राष्ट्रविरोधी नारे लगा रहे थे। स्वंय गवाह पी०डब्लू०– 1 कां० दुर्विजय सिंह जो कि घटनास्थल पर गये पुलिस बल का सदस्य था, ने अपने सशपथ बयानों की प्रतिपरीक्षा में यह कथऩ किया है कि, " *मेरे मुख्यपरीक्षा के समय और प्रतिपरीक्षा के समय बरामदशुदा काला झंडा अदालत में पेश नहीं हुआ है। कहां है, मैं नहीं बता सकता। "* अर्थात् घटना के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य (बरामदशुदा काला झंडा) को बरामद कर उसकी फर्द न बनाना और उसे दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करना, स्वतः ही अभियोजन कथानक को संदिग्ध कर देता है, जिसका लाभ अभियुक्त पाने का अधिकारी है।

24. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि, पत्रावली पर पी०डब्लू०–2 के रूप में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमा वादी पवन कुमार सिंह रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया गया है, उक्त मुकदमा वादी को अभियोजन पक्ष की तरफ से केवल मुख्यपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है और इसे प्रतिपरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अर्थात् उपरोक्त स्थिति में बचाव पक्ष को इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह से अपने बचाव में जिरह करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में जबकि इस गवाह से बचाव पक्ष को जिरह का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है, इस गवाह के मुख्यपरीक्षा के बयानों का कोई विधिक महत्व नहीं रह जाता और उक्त मुख्यपरीक्षा के बयानों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। महत्वपूर्ण बात यहां यह भी है कि, इस गवाह द्वारा भी अपनी मुख्यपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण से बरामद काले झंडों की उनके द्वारा कोई फर्द बनाकर उसे सील सर्वमुहर किया गया हो।

25. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि, इस प्रकरण की प्र०सू०रि० चार व्यक्तियों **अभियुक्तगण नईम, असमत अली, मोहम्मद युसुफ एवं अताउल्ला** के विरूद्ध दर्ज की गयी है। और अंतिम रूप से दो **अभियुक्तगण नईम एवं अताउल्ला** के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस दल के सदस्य गवाह पी०डब्लू०–1 द्वारा अपनी सशपथ बयानों की प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि, "*उनके घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व ही नारा लगाने वाले सभी लोग भाग चुके थे।* " अर्थात् जब पुलिस पार्टी घटनास्थल पर पहुंची, तो घटनास्थल पर कोई भी अभियुक्त व्यक्ति मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में किसके द्वारा पुलिस पार्टी को अभियुक्तगण का नाम बताया गया, यह बात अभियोजन पक्ष की तरफ से स्पष्ट नहीं की गयी है। अभियोजन पक्ष की तरफ से ऐसे किसी व्यक्ति का नाम व पता नहीं बताया गया है, जिसने पुलिस पार्टी को काला झंडा लहराकर राष्ट्रविरोधी नारा लगाने वाले किसी व्यक्ति का नाम बताया हो। स्वयं गवाह पी०डब्लू०–1 द्वारा इस संबंध में अपने सशपथ बयानों की प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, *" इस मुकदमे में अभियुक्तगण का नाम इंस्पेक्टर साहब ने ही दर्ज कराये थे। इंस्पेक्टर साहब ही बता सकते हैं कि वह उन लोगो को कैसे पहचानते थे। मेरी इस संबंध में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और न ही मैंने उन चार लोगो के नाम बताये थे। "* अर्थात् पी०डब्लू० 1, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पार्टी के सदस्य को प्र०सू०रि० में अंकित अभियुक्तगण के नाम के बारे में कोई जानकारी नही है और उसके कथनानुसार, इस संबंध में मुकदमा वादी तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा ही बताया जा सकता है कि उन्होंने प्र०सू०रि० में चारों मुल्जिमानों के नाम किस आधार पर लिखवाये थे। लेकिन उक्त तत्कालीन थाना प्रभारी मुकदमा वादी पी०डब्लू०–2 पवन कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में अपनी मुख्यपरीक्षा में कोई कथन नहीं किया है और प्रतिपरीक्षा हेतु उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अभियुक्त के शामिल होने का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं है।

26. इस प्रकार उपरोक्त समस्त साक्ष्यों के सम्यक् परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष धारा **–295A, 124A, 153B भा०दं०सं०** के अपराध के घटित होने के लिए आवश्यक तत्व के तथ्य को साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन पक्ष यह भी संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्तगण द्वारा घटनास्थल पर एकत्रित होकर काला झण्डा लगाकर

पाकिस्तान जिन्दाबाद, गणतन्त्र दिवस मुर्दाबाद का नारा लगाया गया या फिर तेज–तेज आवाज में राष्ट्रविरोधी व भारत की अखण्डता को खतरा पहुंचाने वाले नारे लगाये गये।

27. उपरोक्त समस्त साक्ष्य के सम्यक् परिशीलन से यह न्यायालय इस मत की है कि इस वाद में अभियोजन पक्ष अभियुक्त नईम के विरूद्ध धारा – **295A, 124A, 153B भा०दं०सं०** का आरोप साबित करने में असफल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त अभियुक्त नईम धारा **295A, 124A, 153B भा०दं०सं०** के तहत **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

आदेश

28. अभियुक्त **नईम** को **सत्र परीक्षण संख्या –2976/2024, सरकार बनाम नईम,** पुलिस थाना **–कोतवाली, जिला– गोरखपुर** से संबंधित अपराध में **भारतीय दण्ड संहिता की धारा–295A, 124A, 153B भा०दं०सं०** के आरोप के अंतर्गत **दोषमुक्त** किया जाता है।

29. अभियुक्त नईम इस मामले में जमानत पर है, उसके जमानतनामे निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। उसके जमानतनामे निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। धारा 437ए सी०आर०पी०सी० के अंतर्गत निष्पादित बन्धपत्र निर्णय दिनांक से छः माह की अवधी तक प्रभावी रहेंगे।

30. निर्णय की एक प्रति धारा–365 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित की जाए। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–31.07.2026 **(उमाकान्त जिन्दल)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–3/
विशेष न्यायाधीश,एन०आई०ए लखनऊ।

31. आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः31.07.2026 **(उमाकान्त जिन्दल)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–3/
विशेष न्यायाधीश,एन०आई०ए लखनऊ।